न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 70/2024

उनवानः— प्रेमलता शर्मा बनाम प्रेम देवी व अन्य

पत्रावली आज दिनांक 24.05.2024 को पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। बहस एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 665/800, 666, 667, 670 कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर वाके ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकलॉ भू.अ.नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी करवांकर आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से तामील की ट्रेक रिपोर्ट पेश करें।

अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 10.06.2024 को पेश करे।

उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

30/5/24 ~~अप्रार्थी सं० 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अविलम्ब सुनवाई पेश किये जाने बाद पत्रावली नियत पेशी से पूर्व आगामी पेशी पर ली गई। प्रार्थी [illegible] की सुनवाई पेश हुआ नोटिस जारी हो। वास्ते आगिम कार्यवाही दिनांक 03/6/24 को पेश हो~~

नोटिसजारी
5850
30/5/24

(हस्ताक्षर)

03/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 1 [illegible] अप्रार्थी सं. 2 संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। [illegible] नकल पढ़ील द्वारा जवाब T.I. पेश किया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

[illegible] Fil
KRS/SM
(for Plaintiff)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukta Rao
Date: 2024.06.28 17:52:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

AG II

Ti.No. 70/2024

प्रेमलता शर्मा V/s प्रेम देवी व अ-4

Con....

प्रार्थी को डिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं: 2 की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रा. पत्र को मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किया जाकर निर्णीत किया जा चुका है। जब मूलवाद ही निर्णीत हो चुका है तो प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर उर्ज नंबरदेर कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/06/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukta Rao
Date: 2024.06.28 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner